दिनांक 3 फरवरी 2023 स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

बिना अनुज्ञप्ति एवं गुमास्ता लाइसेंस के व्यवसाय किया जा रहा था संचालित, सूर्या मॉल चौक के समीप मास कार श्रृंगार को भिलाई निगम ने किया सील, पहले भी कई दफा जारी किया गया था नोटिस

भिलाई नगर/ नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत सूर्या मॉल चौक के पास पर परियापारा विनोबा नगर में व्यवसायिक प्रतिष्ठान मास कार श्रृंगार द्वारा बिना अनुज्ञप्ति एवं गुमास्ता लाइसेंस के व्यवसाय धड़ल्ले से संचालित किया जा रहा था, जबकि निगम ने इस दुकान का गुमास्ता तथा अनुज्ञप्ति लाइसेंस निरस्त कर दिया था। इसको लेकर भिलाई निगम की टीम ने दुकान संचालक को नोटिस जारी किया था साथ ही पूर्व में भी कार्रवाई करने निगम की टीम पहुंची थी और समझाइश देकर वापस लौट गई थी। आज भिलाई निगम की टीम कार्यपालिक मजिस्ट्रेट किशोर वर्मा , पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और दुकान को सील बंद करने की कार्रवाई की। इस दौरान भिलाई निगम के जोन आयुक्त राजेंद्र नायक , सहायक राजस्व अधिकारी धीरज साहू, जोन स्वास्थ्य अधिकारी अंकित सक्सेना तथा स्मृति नगर के चौकी प्रभारी भी मौजूद रहे। दुकान मालिक विजय पासवान के द्वारा कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करने का भरपूर प्रयास किया गया तथा सील बंद की कार्यवाही का दुकान संचालक ने काफी विरोध भी किया। शृंगार से संबंधित सामग्री का विक्रय किया जा रहा था, इसको लेकर पूर्व में भी नगर निगम की टीम ने दुकान को बंद करने की समझाइश दी थी , बावजूद इसके दुकान संचालक के द्वारा निगम की समझाइस को अनदेखा किया गया और अपना व्यापार चलाता रहा। जोन आयुक्त सहित पुलिस बल एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में सील बंद करने की कार्रवाई की गई। जोन आयुक्त श्री नायक ने आगे बताया कि दुकान के निर्माण की भी जांच की जाएगी , बिना अनुमति के निर्माण होने पर कड़ी कार्रवाई निगम के द्वारा की जाएगी साथ ही दुकान से संबंधित अन्य दस्तावेज के भी जांच किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि निगम आयुक्त रोहित व्यास ने इस प्रकार की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं इसी तारतम्य में भिलाई निगम के द्वारा कार्रवाई की जा रही है।